

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/ई/प्रोजेक्ट कार्य./2011/२२५
प्रति,

भोपाल, दिनांक २१/५/११

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त प्राचार्य उमावि./हाईस्कूल

विषय :- ग्रीष्म अवकाश में हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी शालाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने बाबत।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्रीष्म अवकाश में हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी शालाओं के छात्र-छात्राओं से प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाए ताकि वे स्थानीय परिवेश तथा संस्कृति से परिचित हो सकें, उनकी क्षमताओं का विकास हो, उनकी रचनात्मक प्रवृत्तियों तथा उन्हें सृजनात्मक प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हो सके।

2 अतः ग्रीष्म अवकाश के दौरान निम्नानुसार विषयों पर प्रोजेक्ट वर्क प्रदान करें। विद्यार्थियों में प्रोजेक्ट के विषय का वितरण इस प्रकार करें, जिससे सभी विषयों पर प्रोजेक्ट तैयार हो सके-

2.1 हाईस्कूल स्तर पर

(1) गोवंश आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्राम के पशुधन की जानकारी, पशुपालन एवं पशुधन विकास की योजनाओं की जानकारी का संकलन।

(2) निवास स्थान के आसपास पैदा होने वाली फसलों की स्थिति। कृषि के तरीके। कृषि में उर्वरकों का उपयोग तथा उसका उत्पादकता पर प्रभाव। विगत दस वर्षों में भिन्न-भिन्न फसलों में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग एवं उत्पादन विवरण।

2.2 हायर सेकेण्डरी स्तर पर -

(1) शहरी क्षेत्र में - जल-मल निकासी की व्यवस्था का अध्ययन।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में - पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था। पेयजल के विभिन्न स्रोतों की स्थिति का अध्ययन। पानी की बचत एवं समुचित उपयोग के तरीकों का अध्ययन।

3 प्रोजेक्ट वर्क की सूचना एवं प्रचार प्रसार -

(1) यह सुनिश्चित किया जाए कि हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी ग्रीष्म अवकाश में निर्धारित प्रोजेक्ट करें। विद्यार्थियों को निर्धारित प्रोजेक्ट की सूचना संस्था प्राचार्य द्वारा कक्षा 9 वीं, 11 वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा परिणाम प्राप्त करते समय दी जाए। कक्षा 10 वीं के विद्यार्थियों को प्राचार्य अपने स्तर से सूचित करवाएँ। समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापित आदि के माध्यम से पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए।

4. संभाग/जिला/विकासखंड स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण -

संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक कार्यालय के सहायक संचालक, जिला स्तर पर जिला शैक्षणिक समन्वयक तथा विकासखंड स्तर पर विकासखंड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य प्रोजेक्ट वर्क योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी उक्त कार्य की सतत समीक्षा करेंगे तथा प्रगति प्रतिवेदन से संचालक लोक शिक्षण को समय-समय पर अवगत करायेंगे।

5. मूल्यांकन -

अवकाश उपरांत प्रत्येक हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्डरी के प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन किया जाए तथा उत्कृष्ट प्रोजेक्ट को विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाए। प्रत्येक हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्डरी के प्रोजेक्ट की एक प्रति जिला स्तर पर जिला स्तरीय शासकीय उत्कृष्ट उमावि. में संकलित की जाए तथा जिला स्तर पर संकलित प्रोजेक्ट कार्यों में से प्रत्येक कक्षा व बिन्दु पर कम से कम 2-2 उत्कृष्ट प्रोजेक्ट कार्यों की एक-एक प्रति 15.07.2011 तक राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।

6 प्रोजेक्ट पर होने वाला व्यय-

इस पर होने वाला व्यय संस्था/जिले की स्थानीय निधि से किया जा सकेगा। आवश्यक होने पर संचालनालय द्वारा संभाग, जिला, हायर सेकेन्डरी एवं हाईस्कूल को प्रदत्त सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक मद से किया जा सकता है।

7. राज्य स्तरीय पुरस्कार-

राज्य स्तर पर चयनित उत्कृष्ट प्रोजेक्ट को राज्य स्तरीय बालरंग महोत्सव या राज्य स्तरीय बाल दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त लोक शिक्षण,

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21/4/11

पृष्ठांकन क्रमांक/विद्या/ई/प्रोजेक्ट कार्य./2011/ 226
प्रतिलिपि,

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. विशेष सहायक, मान. राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, म.प्र.।
6. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म.प्र.।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल, म.प्र.।
8. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश की ओर की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश